आतिशबाजी से सम्बन्धित नियम व शर्ते

- जिला प्रशासन द्वारा नियत किये गये स्थल पर ही सडक/ रास्ता छोडकर आतिशबाजी की दुकाने लगायी जायेंगी।
- फायर वर्क्स अज्वलनशील पदार्थो से बने शेड में रखी जायेगी जहां तक अन्थराइज व्यक्ति न पहुॅच सके तथा सामग्री को सुरक्षित व बन्द करके रखा जायें।
- प्रत्येक बिक्रेता अपनी दुकान पर एक अतिरिक्त व्यक्ति सहायक/स्टाफ रखेगा जिसका दायित्व होगा कि वह क्रेता से यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कोई ज्वलंनशील वस्तु न हो और क्रेता के द्वारा पार्क में गन्दगी न की जाये।
- अस्थाई टीन शेड जिसमें फायर वर्क्स बेचने के लिये एक दूसरे से दूरी 03 मी0 से कम न होगी तथा दुकान की दीवारे व छत टीनशेड की होगी।
- अस्थाई दुकाने एक दूसरे के सामने नही बनाई जायेगी।
- दुकान में बिजली का प्रयोग किया जाता है तो दीवाल व सीलिंग में फिक्स्ड किया जायेगा तथा प्रत्येक कतार में मास्टर स्विच का प्रयोग का प्रयोग किया जायेगा।
- पूरे परिसर में आतिशबाजी का प्रयोग नही किया जायेगां।
- प्रत्येक शेड में बिजली चले जाने के बाद प्रकाश हेतु टार्च अथवा स्पार्कप्रुफ लैम्प रखे जाये।
- देशी अथवा तेज आवाज वाले पटाखो की बिक्री न की जायें।
- दुकान विद्युत लाइन के नीचे कदापि न लगायी जाये तथा दुकान में बिजली वायरिंग मानको के अनुरूप उचित सुरक्षा दुरी रखते हुये की जायें।
- आतिशबाजी बेंचने के नमूने के एक पैकेट को बाहर रखा जायें शेष सामग्री सन्दूक के अन्दर सुरक्षित रखें।

- स्थल पर आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य कोई सामान न रखेंगें और न ही बेचेंगें।
- अस्थाई लाइसेन्स की क्षमता का विवरण किग्रा0 में तथा उसकी एक प्रति दुकान पर रखी जायें। आतिशबाजी का बिकय लाइसेन्स धारक द्वारा की किया जायेगा।कदाचित बच्चों द्वारा बिक्री कराया जाना सर्वथा वर्जित होगा।
- प्रत्येक दुकान पर 05 किग्रा0 क्षमता के 02 अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर वर्क्स रखे जाये जिन्हे चलाने का ज्ञान सभी बिकताओं का होना आवश्यक है।
- स्थल पर अग्निशमन हेतु 200 लीटर क्षमता के 02 ड्रम पानी से भरे रखे जायेगे तथा ड्रम 05 लीटर पानी की क्षमता की प्लास्टिक की मजबूत बाल्टी मौजूद रहेगी।
- स्थल पर दो सैण्ड एवं दो फायर बकेट बालू व पानी से भरकर उपलब्ध रखी जायेगी।
- स्थल पर 300 घन फुट बालू रिजर्व रखी जायेगी।
- धूम्रपान निषेध बोर्ड एवं 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित होगा, का बोर्ड उपलब्ध रखा जयें।
- दुकान पर फायर कन्ट्रोल रूम का नम्बर 101 व पुलिस कन्ट्रोल रूम का नम्बर 100 एवं फायर स्टेशनों का टेलीफोन नम्बर – 2362222 सीयूजी–9454418396 एवं 2218999 सीयूजी नम्बर –9454418400 को एक बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखाकर उपलब्ध रखा जायें।
- आतिशबाजी परिसर में वाहनों के आवागमन का प्रयोग निषेध किया जायें।
- प्रत्येक बिकेता को अपनी दुकान पर एक कूडादान रखना होगा।

सम्पर्क सूत्र –

- अपर जिलाधिकारी (नगर)–9454416400
- नगर मजिस्ट्रेट –9454416408
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)– 9454416401
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)–9454416402
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय)– 9454416403
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)– 9454416404
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम)– 9454416405
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (षष्टम)– 9454416406
- अपर नगर मजिस्ट्रेट (सप्तम)– 9454416407
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी– 9454418343

आज्ञा से जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

Office of The District Magistrate ★ Kanpur Nagar ★
सत्यमेव जयते